न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा (धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री देवी सिंह (आर0ए0एस0)

मूल वाद संख्या :– 51/21

1. रामनाथ पुत्र चोखीराम जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम देवखेडा तहसील राजाखेडा

.....वादी

बनाम

1. मुन्ना] पि0 शादीखां
2. मुनेश]
3. रामशेर उर्फ पोद्दार पि0 श्याम
4. राजू] पि0 सब्बीर
5. रहमान]
6. दर्शन पि0 बशीर
7. बाज खां पि0 फूल खां
8. सन्नू खां पि0 शंकर
9. गैरत पि0 सूखा
10. सिरदार] पि0 सूबेदार
11. विद्दार]
12. इरफान पि0 निजामुद्दीन
13. इरफान पि0 चुन्ना
14. निरोज पि0 चिरोंजी
15. यूनिस पि0 डब्बो
16. अमान्त पि0 सलावत
17. शकील पि0 मुन्ना
18. तहसीलदार राजाखेडा

अकबाम– मुसलमान निवासीगण ग्राम देवखेडा थाना राजाखेडा , धौलपुर

..... प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी दावा खारिजी किये जाने बाबात्

उपस्थितिः–

1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री विमल शर्मा ..... वकील वादी
2. विद्वान अधिवक्ता :– श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव ..... वकील प्रतिवादी
3. नायब तहसीलदार राजाखेडा :– पैरोकार सरकार राजस्थान सरकार की ओर से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा * जिला–धौलपुर (राज.) *

–:निर्णय:–

मूल वाद संख्या :– 51/21 दिनांक :– 28.02.2022

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सीपीसी इस आशय के साथ पेश किया गया कि उनवानी दावा वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित है। वादी आराजी ख0न0 589 स्थित बांके ग्राम देवखेडा का खातेदार काश्तकार नही है। उक्त खसरा नम्बर की मालिक राज्य सरकार है। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने हेतु विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होना होना आवश्यक है। ऐसा दावा विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण चलने योग्य नहीं होने के कारण काबिले खारिजी है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा खारिज फरमाया जावे इस संबंध में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय धौलपुर, के उनवानी रामनाथ वगै0 बनाम राजस्थान राज्य वगै0 के मुकदमा नं0 19/21 निर्णय दिनांक 17.09.21 की फोटोप्रति पेश की। वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

उक्त प्रार्थना पत्र का उत्तरदाता वादी द्वारा जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद–पत्र में अंकित तथ्यों के विपरीत है। यह कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 597 वादी की खातेदारी आराजी है जिससे प्रार्थीगणों का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। ख0न0 589 एक आम रास्ता है जिसके प्रार्थीगण अधिपत्यधारी नहीं है। उक्त रास्ता सार्वजनिक है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी एवं उत्तरदाता एवं अन्य राहगीर वर्षों से कर रहे हैं। प्रार्थीगण लाठी डण्डे क बल पर उत्तरदाता की खातेदारी में नींव खोदकर पुख्ता डन्डा लगाने के लिए प्रयासरत है। देखिये वाद–पत्र की मद सं0 3 व 8 एवं प्रार्थीगणों को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11सीपीसी अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है अर्थात बिना लोकस स्टेन्डाई के प्रा0पत्र पेश किया है। उत्तरदाता का वाद विधि के प्रावधानों के विपरीत नहीं है। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित खसरा नम्बर 589 गैर मुमकिन रास्ता है जिसकी मल्यिकत राज्य सरकार है। जिसमें वादी–प्रतिवादी को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। वाद विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में वादी के वाद को विधि द्वारा वर्जित वाद पोषणीय नही होने के कारण खारिज करने की मांग की क्यों कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने के लिए रिकॉर्डडेड खातेदार काश्तकार होना आवश्यक है। वादी ख0न0 589 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। वादी ने दो खसरा नम्बर 597 व ख0न0 589 का वाद प्रस्तुत किया है। ख0न0 589 गैर मुमकिन सिवायचक है उसकी मल्कियत सरकार है। स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में वादी को भूस्वामी होना चाहिये एवं उसका कब्जा होना चाहिए। ख0न0 589 का वादी ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही उसका कब्जा हैं। ऐसा दावा जिसका वादी ना तो खातेदार काश्तकार है ना ही उसका कब्जा है। पोषणीय ना होकर काबिल खारिजी है। ख0न0 597 के बावत् जिसका वादी खातेदार काश्तकार होना अभिलिखित करता है उसकी आड में वादी ने सरकारी भूमि ख0न0 598 में लगभग 20 फीट जमीन पर जो रास्ता की है उस पर कब्जा कर लिया है। उक्त दावे की आड में उक्त सरकारी भूमि पर कब्जा बनाये रखना चाहता है। ऐसा कोई वाद जो विधि के उद्देश्यों को विफल करने के लिए पेश किया गया हो एवं सरकारी भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से पेश किया गया हो, पोषणीय ना होकर काबिल खारिजी है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाकर दावा

वादी खारिज फरमाया जावे। क्योंकि वादी ख0 न0 597 की आड में सरकारी भूमि ख0न0 589 एवं 598 पर कब्जा करना चाहता है। जिसकी मालिक सरकार है।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार की बहस में यह स्पष्ट हुआ कि यह गैर मुमकिन रास्ता है। ख0न0 589 प्रतिवादी की बहस में भी यह कहा गया है। वादी के दावे में भी यह बात अंकित है। प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 भूमिधारी के द्वारा पेश नहीं की गई है। प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। विवादित ख0न0 598 वादी की खातेदारी भूमि है।

ख0न0 589 वादी की भूमि से लगा हुआ सार्वजनिक रास्ता उपयोग एवं उपभोग हेतु सुचारू है। ख0न0 597 से वादी ख0न0 589 में आने–जाने में उपयोग एवं उपभोग करता है उसे राइट आफ वे प्राप्त है उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। वाद पत्र की मद सं0 5 को पढकर सुनाया इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 17 पुख्ता निर्माण करने की योजना बना रहे है। यह जो निर्माण कार्य है ख0न0 597 वादी के अधिपत्य की भूमि में जबरन लाठी, डंडा, फरसा के आधार पर नींव खोदने की कोशिश की। ख0न0 589 मेरी खातेदारी भूमि ख0न0 597 से लगी हुई भूमि है। प्रतिवादीगण पुख्ता निर्माण करना चाह रहे हैं और मैड तोडना चाह रहे हैं। ख0न0 597 पर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 प्रभावी नहीं है। ख0न0 589 की आड में ख0न0 597 में किसी भी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं कर सकते है। ख0न0 597 व ख0न0 589 पर प्रतिवादीगण मेंडों का ध्वस्त नहीं करें। प्रतिवादी की बहस से यह साबित होता है कि वादी ने जो दावे की मद सं0 3 में लिखा है उसे असली जामा पहनाना चाहते हैं। ख0न0 589 आम रास्ते पर मस्जिद बनाने पर उतारू है। प्रतिवादीगण वादी को रास्ता को रोकने के लिये रास्ते के उपयोग–उपभोग को रोकने के लिए जो उसे सुखाधिकार प्राप्त है उसको इस प्रार्थना पत्र दिये जाने के आशय से भंली भांति स्पष्ट होता है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 मेलाफाइड इरादे के साथ है। माननीय जिला न्यायाधीश धौलपुर ने इस बात को स्वीकार करने हुए तथा तहसीलदार की स्वीकृति के आधार पर ख0न0 589 पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर पाबन्द किया हुआ है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने पुनः बहस में कथन किया कि वादी के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि माननीय जिला न्यायाधीश के यहां प्रकरण चल रहा है और उसका स्थगन है उसकी कोई प्रति पेश नहीं की है। वादी का कथन कि हमें रास्ते में आने–जाने का सुखाधिकार प्राप्त है यदि आपको कोई सुखाधिकार प्राप्त है तो सुखाधिकार के आधार पर कोई अनुतोष चाहते हैं तो उसके लिये सिविल न्यायालय में जावें। वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई बहस नहीं की है। प्रतिवादी गण के प्रार्थना पत्र के बिंदुओं पर कोई जबाव पेश नहीं किया है तो यह माना जावेगा कि यह उसकी स्वीकृति है। ख0न0 589 के संबंध में भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि न्यायालय से कोई रिलीफ प्राप्त करने का वादी को अधिकार है।

वादी का स्वयं का एडमिशन है कि ख0न0 589 वादी की खातेदारी भूमि नहीं है। ख0न0 597 की आड में वादी ने ख0न0 589 व ख0न0 598 पर कोई कब्जा नहीं किया है इस तथ्य को वादी ने अस्वीकार नहीं किया है। प्रातिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवतागण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। न्यायालय के विनम्र मत में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल वाद पत्र के कथनों को ही देखा

जा सकता है। क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में वाद विधि द्वारा वर्जित के प्रश्न का अवधारणा करना सन्हित है। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद शुद्धरूप से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है जो विवादित आ0ख0न0 589, 597 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया हैं। ख0न0 589 रकबा 0.2403 गैर मुमकिन रास्ता मल्कियत राज0 सरकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ख0न0 597 रकबा 0.1138 वादी के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188(1) के अनुसार कोई अभिधारी, जिसके भूमि क्षेत्र या भूमि क्षेत्र के हिस्से पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण की धमकी दी जाती है, शाश्वत आदेश अनुदत्त करने के लिये वाद संस्थित कर सकता है।

इसके अनुसार धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्ध व्यादेश का वाद केवल अभिधारी द्वारा ही संस्थित किया जा सकता है। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित नहीं किया जा सकता है जो अभिधारी नहीं है। चूंकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 589 का वादी रिकार्डडेड खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी ने दूषित मन से अनुचित लाभ प्राप्त करने के दुराशय से विवादित ख0न0 597 की आड में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो विवादित ख0न0 589 के संबंध में अनुतोष प्राप्त करना चाहता है जिसका वादी को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद पत्र के कथनों से यह सिद्ध होता है कि वाद विधि से वर्जित है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है। साथ ही वादी के अधिवक्ता का यह तर्क कि विवादित ख0न0 589 गै0मु0 रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर वादी को सुखाधिकार प्राप्त है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि रास्ते के विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है तथा आरटीए 251 में तहसीलदार न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी की अर्न्तनिहित शक्तियों का स्वयं संज्ञान लेते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद–पत्र विधि द्वारा वर्जित होनें के आधार पर खारिज किया जाता है। वादी अपनी खातेदारी ख0न0 597 के बावत नया वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा। आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा जिला–धौलपुर (राज.)

उपखण्डाधिकारी
राजाखेडा